DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY

BULLETIN PART-II

(General information relating to legislative & other matters)
Friday 8th November, 2002 / 17 Ashvina II 1924 (Saka)

No. 340

1. **COMMENCEMENT OF THE FIFTEENTH SESSION OF THE SECOND LEGISLATIVE ASSEMBLY OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI.**

Hon'ble Members are informed that the Fifteenth Session of the Second Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi will commence on Monday, the 25th November, 2002 at 2.00P.M. in the Assembly Hall, Old Secretariat, Delhi.

2. **ALLOTMENT OF THE DAYS FOR THE TRANSACTION OF BUSINESS DURING FIFTEENTH SESSION.**

The sittings of the Legislative Assembly for the transaction of business have been tentatively fixed for 25, 26, 27, 28 and 29th November 2002.

3. **TIME OF SITTINGS**

The sittings of the Legislative Assembly shall commence at 2.00 P.M. on each day and continue till it is adjourned for the day.

4. **NOTICES OF QUESTIONS AND HOLDING OF BALLOT**

Under Rule 33 of the Rules of Procedure and Conduct of Business, not less than 12 days clear notice of question is required to be given by the members. Under Rule 36, the Members can given notice of a maximum of five questions in a day (including Short Notice Starred and Unstarred Questions). In case any member gives notices of more than five questions on any day, only his first five notices will be taken up and remaining notices shall be deemed to have been rejected.

5. **ALLOTMENT OF DAYS FOR ANSWERING QUESTIONS DURING THE FIFTEENTH SESSION (RULE 37)**

For the Fifteenth Session, the days for answering questions by Ministers in respect of various Departments have been set out as under:

No.	Department	Date of sitting	Last date for receipt of notices of questions for the Deptt. in col. 2	Date of holding ballot for determination of priority for oral questions
1	2	3	4	5.
1.	**Administrative Reforms, General Administration, Excise, Development, Higher Education, Vigilance, Languages, Labour, Art & Culture**	25.11.2002	**12.11.2002 up to 3.00 P.M**	12.11.2002 at 5.00 P.M.
2.	**Home, Planning, Revenue, Cooperative, Prevention of Food, Adulteration, Jail, Services, Medical & Public Health.**	26.11.2002	**13.11.2002 up to 3.00 P.M.**	13.11.2002 at 5.00 P.M.
3.	**Food & Supplies, Public Relations; Sales Tax, Gurudwara Administration and Gurudwara Elections, Finance, Urban Development, Family Welfare, Transport.**	27.11.2002	**14.11.2002 up to 3.00 P.M**	14.11.2002 at 5.00 P.M.
4.	**Land & Buillding, PWD and Housing, Irrigation & Flood Control, Industries, Water and Power.**	28.11.2002	**15.11.2002 up to 3.00 P.M.**	15.11.2002 at 5.00 PM
5	**Education, Environment, Forest & Wildlife, Training &Tech.Education, Tourism, Election, Employment, Law Justice & Legislative Affairs, Welfare of SC/ST, Information & Technology, Social Welfare.**	29.11.2002	**15.11.2002 up to 3.00 PM**	1511.2002 at 5.10 PM

Note: (1) Notices of the Question for the Fifteenth Session will be received with immediate effect. The question should primarily relate to one Department only(Rule 31(xxii).

(2) Members may kindly note that if notice of question is received after the last date and time in respect of various departments vide col. No. 3 and 4; such a notice shall stand disallowed. The time for receipt of notices shall be up to 3.00 P.M. on the last date of receipt of questions for departments.

(3) Where the questions draw a reference to a news item published in a national or local daily, the question in order to be admissible, must be accompanied by the relevant clipping of the news items. The questions not accompanied by relevant clippings are likely to be disallowed.

(4) The clubbing of questions will be done in case several notices of question on the same subject matter are received. Notices or questions subsequently received and repeating in substances the same subject – matters are liable to be disallowed (Rule 31 (vii).

(5) Members are requested to indicate clearly and legibly their priority in respect of questions. If no priority is indicated, the same will be decided according to the Rules.

(6) Ballot will be held in the room of the Secretary (Room No. 53) as per timings indicated above. Hon`ble Members are welcome to participate in the balloting.

(7) Members may kindly note that notices of questions relating to day-to-day administration and functioning of Municipal Corporation of Delhi may not be entertained. The same are liable to be disallowed under Rule 31(xiii).

6. **SPECIAL MENTIONS UNDER RULE 280 (Earlier Rule 287)**

Members who want to raise matters under Rule 280 may give notice of the same by 11.00 A.M. on the date the matter is proposed to be raised. Balloting for fixing inter-se priority for the first 10 notices will be held in the room of the Secretary at 11.15 AM on each day. Hon`ble members are requested to participate in the balloting.

Members are requested **to confine the text of the Special Mention to 8-10 lines only** and not to deviate from the original text while raising the same on the floor of the House. The matter should relate to only one Department and raise only one issue. The Secretariat generally sends the written text of the Special Mention, as received from Members, to the Department concerned for necessary action.

7. **PRIVATE MEMBER`S BUSINESS**

The sittings of the House to be held on 29th November,2002 has been allotted for Private Members Bills and Resolutions. The Notices of Private Member Bills & resolutions will be received up to 3.00 P.M. On 15th November 2002. The **balloting for inter-se priority of Private**

165

Member Bills & resolutions will be held on 15th` November at 4.00 P.M. in the Room of Secretary. Members are welcome to participate in balloting.

8. **NOTICE OFFICE**

Members are informed that the NOTICE OFFICE IS LOCATED IN ROOM NO. 46 (Adjoining to the Room of Minister of Social Welfare).

9. **VISITORS` GALLERY**

As per direction of Hon`ble Speaker, Application forms for the issue of visitors gallery passes must be submitted by 5.00 PM on the working day previous to the date for which the gallery passes are required. For example, application for the gallery passes meant for sitting of the House on 25th November, 2002 will be accepted up to 5.00 PM on the earlier working day i.e. 22nd November' 2002. Similarly, applications for gallery pass for the subsequent dates would be processed and issued in the like manner.

The seating capacity in the visitor's gallery being limited, not more than two passes shall ordinarily be issued to a member for each sitting.

No admission cards for the Visitors Gallery will ordinarily be issued on the same day.

Members are requested to recommend issue of gallery passes only for those visitors whose antecedents are well known to them.

NOTE:-

MOBILE PHONES, PAGERS OR OTHER ELECTRONIC GADGETS ETC MAY KINDLY BE KEPT OUTSIDE THE HOUSE. IF SOMEHOW BROUGHT IN THE HOUSE, KINDLY ENSURE THAT THEY ARE KEPT SWITCHED OFF.

S. K. SHARMA
SECRETARY

दिल्ली विधान सभा
समाचार भाग-2

NB 240

(विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी)
शुक्रवार, 8 नवम्बर, 2002/17 आश्विन-2, 1924 (शक)

1. **राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की दूसरी विधान सभा के पन्द्रहवें सत्र का प्रारंभ:**

माननीय सदस्यों को सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की दूसरी विधान सभा का पन्द्रवां सत्र सोमवार, दिनांक 25 नवम्बर, 2002 को अपराह्न 2.00 बजे से विधान सभा सभागार, पुराना सचिवालय, दिल्ली में प्रारंभ होगा ।

2. **पन्द्रहवें सत्र के दौरान कार्य निष्पादन के लिये दिनों का आबंटन:**

कार्य निष्पादन हेतु विधान सभा की बैठकें अस्थायी तौर पर 25, 26, 27, 28 एवं 29 नवम्बर, 2002 के लिए निर्धारित की गई हैं ।

3. **विधान सभा की बैठकों का समय:**

जब तक अध्यक्ष अन्यथा आदेश न दें, विधान सभा की बैठकें अपराह्न 2.00 बजे प्रारंभ होगी और तब तक चलेंगी जब तक उसे उस दिन के लिये स्थगित न कर दिया जाये।

4. **प्रश्नों की सूचनाएं एवं बैलेट:**

विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम-36 के अंतर्गत समस्त माननीय सदस्यों द्वारा प्रश्नों की सूचनाएं भेजते समय स्पष्ट रूप से कम से कम 12 दिन का समय देना आवश्यक है । नियम-36 के अंतर्गत सदस्य (अल्प सूचना प्रश्न, तारांकित प्रश्न तथा अतारांकित प्रश्न सहित) एक दिन के लिये केवल पांच प्रश्नों की सूचनाएं दे सकते हैं । यदि कोई सदस्य एक दिन के लिये पांच से अधिक प्रश्नों की सूचनाएं देता है तो उनकी पहली पांच सूचनाएं स्वीकृत की जाएगीं और बाकी सूचनाएं अस्वीकृत समझी जाएंगी

5. **पन्द्रहवें सत्र के दौरान प्रश्नों का उत्तर देने के लिये दिनों का आबंटन नियम-37:**

मंत्रियों द्वारा पन्द्रहवें सत्र में विभिन्न विभागों से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देने के लिए निम्नानुसार दिनों को निर्धारित किया गया है: -

क्र.सं.	विभाग	बैठक की तिथि	कॉलम में दशाये गये विभागों से संबंधित प्रश्नों के नोटिस प्राप्त करने की तिथि	मौलिक रूप से पूछे जाने वाले प्रश्नों की प्राथमिकता निर्धारित करने के लिए बैलेटिंग की तिथि
1	2	3	4	5
1.	प्रशासनिक सुधार, सामान्य प्रशासन, आबकारी, विकास, उच्च शिक्षा, सतर्कता, भाषा, श्रम, कला एवं साहित्य	25.11.2002	**12.11.2002 3.00 बजे तक**	12.11.2002 5.00 बजे
2.	गृह, योजना, राजस्व, सहकारिता, खाद्य अपमिश्रण, कारागार, सेवाएं, चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	26.11.2002	**13.11.2002 3.00 बजे तक**	13.11.2002 5.00 बजे
3.	खाद्य एवं संभरण, जन संपर्क, बिक्री कर, गुरूद्वारा चुनाव एवं प्रशासन, वित्त, शहरी विकास, परिवार कल्याण, परिवहन	27.11.2002	**14.11.2002 3.00 बजे तक**	14.11.2002 5.00 बजे
4.	भूमि एवं भवन, लोक निर्माण विभाग एवं आवास, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण, उद्योग, जल एवं उर्जा		**15.11.2002 3.00 बजे तक**	15.11.2002 5.00 बजे
5	शिक्षा, पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवन, प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा, पर्यटन, चुनाव, रोजगार, विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग, अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण, सूचना एवं प्रोद्यौगिकी, समाज कल्याण	29.11.2002	**15.11.2002 3.00 बजे तक**	1511.2002 5.10 बजे

टिप्पणी

1. प्रश्न सामान्यतः एक ही विभाग से संबंधित होने चाहिए (नियम-31(xxii)) पन्द्रहवें सत्र हेतु प्रश्नों की सूचना तत्काल प्रभावी होगी ।

2. माननीय सदस्य कृपया ध्यान दें कि कालम 3 और 4 के अनुसार यदि विभिन्न विभागों से संबंधित किसी प्रश्न की सूचना अंतिम तिथि और समय के प्रश्चात प्राप्त होगी तो ऐसी सूचना अस्वीकृत मानी जायेगी । सूचनाएं प्राप्त करने का समय अपराह्न 3.00 बजे तक है ।

3. जहां प्रश्न में किसी राष्ट्रीय अथवा स्थानीय दैनिक समाचार-पत्र में प्रकाशित किसी समाचार का हवाला दिया जाये, वहां ऐसे प्रश्न को गाह्य बनाने हेतु उसके सथ संबंधित समाचारों की कतरन नत्थी करना आवश्यक है । इस तरह के जिन प्रश्नों के साथ संबंधित समाचारों की कतरनें नत्थी नहीं की जायेंगी, उन्हें अस्वीकृत कर दिया जायेगा ।

4. प्रश्नों को संयुक्त केवल उसी स्थिति में किया जायेगा, जब एक ही तरह के विषय पर बहुत से प्रश्नों की सूचनाएं प्राप्त होंगी । बाद में प्राप्त की गयी सूचनाएं, यदि उसी विषय से संबंधित होगी तो उन्हें नियम-31(vii) के अंतर्गत अस्वीकार कर दिया जायेगा ।

5. माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे प्रश्नों पर अपनी प्राथमिकता का संकेत स्पष्टता और सफाई से दें । यदि प्राथमिकता का संकेत नहीं दिया जाता है तो प्राथमिकता का निर्णय नियमों के अनुसार किया जायेगा ।

6. प्रश्नों की बैलेटिंग सचिव के कमरा नं.53 में दिए गये समयानुसार की जायेगी । सभी माननीय सदस्य बैलेटिंग में सम्मिलत होने के लिए आमंत्रित है ।

7. माननीय सदस्य कृपया ध्यान दें कि दिली नगर निगम के दैनिक प्रशासन और कार्यकलापों से संबंधित सूचनाएं न दी जाएं । ऐसे प्रश्नों को नियम 31(13) के अंतर्गत अस्वीकार कर दिया जायेगा ।

6. नियम 280 (पूर्व नियम 287) के अनतर्गत विशेष उल्लेख:

जो माननीय सदस्य नियम 287 के अंतर्गत विशेष उल्लेख के मामलों को जिस दिन/तिथि को उठाना चाहते है, प्रस्तावित विषय की सूचना उसी दिन पूर्वाह्न 11.00 बजे तक दे सकते हैं। प्रथम 10 सूचनाओं की प्राथमिकता निर्धारित करने हेतु बैलेटिंग प्रत्येक दिन पूर्वाह्न 11.15 बजे सचिव, विधान सभा के कक्ष में की जायेगी । माननीय सदस्यों से बैलेटिंग की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु अनुरोध किया जाता है ।

सदस्यों से अनुरोध है किया जाता है कि वे विशेष उल्लेख के पाठ को केवल 8-10 लाइनों तक ही सीमित रखें और सदन में उस विषय को उठाते समय केवल मूल पाठ हीं पढ़ें । विषय केवल एक ही विभाग एवं एक मुद्दे से संबंधित होना चाहिए । सचिवालय विभाग को प्रायः उल्लेख के पाठ को हीं अग्मि कार्यवाही हेतु भेजता है ।

7. गेर सरकारी सदस्यों का कार्य:

शुक्रवार, 29 नवम्बर, 2002 को होने वाली सदन की बैठक की तिथि गेर सरकारी सदस्यों के विधेयकों एवं संकल्पों के लिए आबंटित की गयी है । गेर सरकारी सदस्यों

के विधेयकों एवं संकल्पों की सूचनाएं प्राप्त करने की **अंतिम तिथि 15 नवम्बर, 2002 को अपराह्न 3.00 बजे तक है ।**
15 नवम्बर, 2002 को अपराह्न 5.00 बजे सचिव के कक्ष में बैलेटिंग होगी।
माननीय सदसयों का बैलेटिंग में भाग लेने कि लिए स्वागत है ।

8. नोटिस कार्यालयः

सदस्यों को सूचित किया जाता है कि नोटिस कार्यालय कमरा नं. 46 (समाज कल्याण मंत्री के कमरे से पहले) स्थित है ।

9. दर्शक दीर्घा प्रवेश पत्र :

माननीय अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार दर्शक दीर्घा के प्रवेश पत्र जारी कराने के आवेदन-पत्र जिस दिन के लिए प्रवेश पत्र चाहिए, उस दिन से पूर्व एक कार्य दिवस को अपराह्न 5.00 बजे तक अवश्य प्रस्तुत किये जाएं । उदाहरणार्थ 25/11/2202 को होने वाली सदन की बैठक के लिए दर्शक दीर्घा के लिये आवेदन पत्र पूर्व कार्य दिवस अर्थात् 22/11/2002 को (23 एवं 24 को अवकाश होने के कारण) अपराह्न 5.00 बजे तक स्वीकार किये जायेंगे । इसी प्रकार अनुवर्ती तिथियों के दीर्घा प्रवेश पत्रों के लिये आवेदन पत्रों पर कार्रवाई की जायेगी और वे इसी प्रकार से स्वीकार किये जाएंगे ।

दर्शक दीर्घा में बैठने के लिए सीमित स्थान होने के कारण एक सदस्य को प्रत्येक बैठक के लिए दो से अधिक प्रवेश पत्र जारी नहीं किए जाएंगे । दर्शक दीर्घा के लिए प्रवेश-पत्र सामान्यतः उसी दिन जारी नहीं किये जाएंगे ।

सदस्यों से अनुरोध है कि वे केवल उन्हीं दर्शकों की सिफारिश करें जिनके चरित्र के बारे में वे भली-भांति जानते हैं।

टिप्पणीः

कृपया मोबाइल टेलिफोन आदि सदन के बाहर हीं रखें ।
यदि किसी कारणवश ले आये हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि सदन में इनके स्विच बंद रहें ।

एस० के० शर्मा
सचिव